

कर्नाटक लौह अयस्क खनन

प्रलमिस के लयि:

लौह अयस्क उद्योग, कर्नाटक में लौह अयस्क, ई-नीलामी ।

मेन्स के लयि:

लौह उद्योग का महत्त्व, लौह अयस्क की नीलामी प्रक्रया ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कर्नाटक में बेल्लारी, चत्त्रदुरग और तुमकुर ज़िलों के लयि लौह अयस्क खनन की "सीमा" को यह कहते हुए बढ़ा दया कऱ पारस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण आर्थिक वकिस के साथ-साथ होना चाहयि ।

- कर्नाटक में लौह अयस्क के उत्पादन और बकिरी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के दस वर्ष बाद न्यायालय ने अपने ही आदेशों में ढील दी है ।

कर्नाटक लौह अयस्क खनन प्रतबिंध:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने [अवैध खनन](#) के लयि वर्ष 2009 में [केंद्रीय जाँच ब्यूरो \(CBI\)](#) की जाँच शुरू होने के बाद बेल्लारी में ओबुलापुरम खनन कंपनी (OMC) को प्रतबिंधति कर दया ।
 - अवैध खनन के परणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्तऱ की लूट हुई, राजकोष को भारी नुकसान हुआ, वन भूमि पर कब्जा कर लया, पर्यावरण को भारी क्षतऱ हुई और स्थानीय आबादी के बीच बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य का मुद्दा उठा ।
- वर्ष 2008 और वर्ष 2011 की दो [लोकयुक्त](#) रिपोर्टों ने अवैध खनन घोटाले में शामिल तीन मुख्यमंत्रयिों सहति 700 से अधिक सरकारी अधिकारयिों का खुलासा कया ।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समति (CEC) की रिपोर्ट के पश्चात् खनन बड़े पैमाने पर हो रहे उल्लंघन की ओर ध्यान दया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में बेल्लारी में खनन कारयिों को रोकने हेतु एक आदेश जारी कया ।
- इसके अतरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक से लौह अयस्क के नरियात पर प्रतबिंध लगा दया, जसिका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण को रोकना और अंतर-पीढीगत इक्वटी की अवधारणा के हसिसे के रूप में भावी पीढयिों के लयि संरक्षति करना था ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने A और B श्रेणी की खानों के लयि अधिकतम अनुमेय वार्षिक उत्पादन सीमा 35 MMT भी तय की ।
- इसने भारतीय वानकी अनुसंधान और शकिसा परषिद (ICFRE) को अवैध खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लयि एक [सुधार और पुनर्वास \(R&R\) योजना](#) तैयार करने का नरिदेश दया ।
- वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालयने 18 "श्रेणी A" खानों का परचालन फरि से शुरू करने की अनुमतऱ दी ।
 - खानों को उनके द्वारा की गई अवैधताओं की सीमा के आधार पर वर्गीकृत कया गया था:
 - A श्रेणी की खदानें:** ये "पटटे हैं जनिमें कोई अवैधता/सीमांत अवैधता नहीं पाई गई है"
 - अधिक गंभीर उल्लंघन वाली खदानें उनके द्वारा अवैधता के आधार पर **B और C श्रेणयिों** में आती हैं ।
 - एक बार जब खदानों को फरि से संचालति करने की अनुमतऱ मिली तो अयस्क को नीलामी के माध्यम से आवंटति कया गया ।

आदेश का नहितारथ:

- खानों के बंद होने से स्टील मल्लिों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा जसिसे उन्हें भारत के बाहर से आयात करने के लयि मज़बूर होना पड़ा परणाम स्वरुप वैश्विक लौह अयस्क दगिगजों के लयि देश वयापार के लयि खोल दया गया ।
- उत्पादन, ई-नीलामी और कीमतों पर प्रतबिंधिों ने कर्नाटक में लाखों खनन आशरतिों को भी प्रभावति कया था जसिसे उनकी आजीवकि अनश्चति हो गई थी ।

इस मुद्दे से सम्बंधति हाल के घटनाक्रम क्या रहे हैं

- **खनन फर्मों की अपील:**
 - मई 2022 में खनन फर्मों ने सर्वोच्च न्यायालय से बेल्लारी, तुमकुर और चत्तिरदुर्ग ज़िलों में खनन पट्टेदारों के लिये लौह अयस्क के नरियात या बकिरी में ई-नीलामी मानदंडों को समाप्त करने की अपील की है।
 - इन्होंने दावा किया कि स्टॉक नहीं बकिने के कारण इन्हें क्लोजर का सामना करना पड़ रहा है।
- **कर्नाटक सरकार का पक्ष:**
 - कर्नाटक सरकार सीलिंग सीमा को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में है।
- **मूल याचिकाकर्त्ता का पक्ष:**
 - मूल याचिकाकर्त्ता ने इस आधार पर किसी भी नरियात का वरिध किया कखिनजि राष्ट्रीय संपत्ति हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है और केवल तैयार स्टील का नरियात किया जाना चाहिये।
- **सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में पहले से ही उत्खनति हो चुके लौह अयस्क के नरियात को ई-नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से फरि से शुरु करने की अनुमति दी है और इसके साथ ही नमिनलखिति खदानों के लिये खनन की सीमा को भी बड़ा दिया है:
 - बेल्लारी: 28 MMT से 35 MMT
 - चत्तिरदुर्ग और तुमकुर: 7 MMT से 15 MMT
 - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि देश के बाकी हस्सिों की खानों के सापेक्ष इन तीन ज़िलों में स्थति खानों के लखिसमान परतसिपर्धा बनाए रखना आवश्यक है।

लौह अयस्क खनन में ई-नीलामी:

- **परचिय:**
 - ई-नीलामी वकिरेताओं (नीलामीकर्त्ताओं) और बोलीदाताओं (व्यापार से व्यावसायिक परदृश्यों में आपूर्तकिर्त्ता) के बीच एक लेनदेन है जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के माध्यम में होता है।
- **परकरिया:**
 - परत्येक बोली के पूरा होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयिकृत तीन सदस्यीय नगिरानी समति, दस्तावेज़ प्रकाशति करती है जिसमें लौह अयस्क की गुणवत्ता, जिस खदान से संबंधति है, उसके लिये बोली लगाने वालों की संख्या और अंतमि लेने वालों का वविरण सूचीबद्ध होता है।
 - एक बार पंजीकृत होने के बाद खरीदार आगामी नीलामी देख सकता है जिस पर वे बोली लगा सकते हैं।
 - परत्येक वकिरेता उस अयस्क की गुणवत्ता को नरिदषिट करता है जो उसके प्रकार और उस न्यूनतम मूल्य के अंतर्गत होगा जिस पर बोली शुरु होनी है।
 - वकिरेता वे हैं जिनके पास कानूनी लौह अयस्क खदानें हैं और खरीदार आमतौर पर स्टील नरिमाता हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. भारत में, राज्य सरकारों के पास गैर-कोयला खानों की नीलामी करने की शक्ति नहीं है।
2. आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं।
3. राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- खान और खनजि (वकिस एवं वनियिमन) अधनियिम, 2015 भारत में खनन क्षेत्त्र के वनियिमन से संबंधति है और खनन कार्यों के लिये पट्टे प्राप्त करने एवं देने की आवश्यकता को नरिदषिट करता है। इसने खान तथा खनजि (वकिस एवं वनियिमन) अधनियिम, 1957 में संशोधन किया। इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने पारदर्शी और परतसिपर्द्धी नीलामी परकरिया द्वारा खनजि संसाधनों के अनुदान हेतु पहले आओ-पहले पाओ / वविकाधीन तंत्र को बदल दिया है।
- खान एवं खनजि (वकिस एवं नयिमन) संशोधन अधनियिम, 2015 के अनुसार गैर-कोयला खनजिों के खनन लाइसेंसों की नीलामी संबंधति राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- भारत में सोने की तीन खदानें कार्यरत हैं (कर्नाटक में हुट्टी और उती एवं झारखंड में हीराबुदनी)। जबकि कोलार सोने के खान से खनन वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया है। रामगिरि सोने की खदानें रामगिरि ज़िला (आंध्र प्रदेश) कुछ साल पहले सोने के खराब उत्पादन तथा सरकार को होने वाले नुकसान के कारण बंद कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब अनंतपुर ज़िला से खनन शुरू करने के लिये ऑस्ट्रेलियन इंडियन रसोर्सिज लिमिटेड को नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सोने वाली क्वार्ट्ज चट्टानों के ज्ञात भंडार हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- राजस्थान में लौह अयस्क जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा और बाँसवाड़ा में पाया जाता है। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों के लौह-अयस्क के संसाधन शामिल हैं। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न : वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थितिका उदाहरणों सहित कारण बताइये। (मुख्य परीक्षा, 2020)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/karnataka-iron-ore-mining>

